यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/106/2013

उनवान

1. श्री भगवानसिंह पिता शेषकरण चारण(खड़िया) निवासी खराड़ी तहसील जेतारण जिला पाली हाल निवासी वी.जे.एस.कॉलोनी म0नं0 615–ए भौमियों के स्थान के सामने , जोधपुर ।

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती कमला कंवर पत्नी स्व0 गोविन्दसिंह चारण(खड़िया) निवासी मण्डौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. श्री घनश्यामसिंह आत्मज स्व0 गोविन्दसिंह चारण(खड़िया) निवासी मण्डौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. श्री भवानीसिंह आत्मज स्व0 गोविन्दसिंह चारण(खड़िया) निवासी मण्डौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के प्रकरण संख्या 162/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2013

अधिवक्तागण :–

1. श्री रमेश चेचाणी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री मनोहर लाल बापना अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या1से 3
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 05.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मण्डोल तहसील रायपुर में वादीया सं0 1 के स्वसुर एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादीगण संख्या 2, 3 के दादा स्व0शेषकरण पिता गंगादान चारण निवासी मण्डोल पटवार सर्कल पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के नाम पर नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 64 में आराजी नम्बर 474 रकबा 0.30 है0, आ0नं0 475 रकबा 0.23है0, आ0नं0 476 रकबा 0.11है0, आ0नं0 477 रकबा 0.03है0, आ0नं0 479 रकबा 0.16है0, आ0नं0 484 रकबा 0.14है0, आ0नं0 499 रकबा 0.02है0, आ0नं0 500 रकबा 0.85है0, आ0नं0 501 रकबा 0.46है0, आ0नं0 502 रकबा 0.02है0 कुल कीता 10 कुल रकबा 2.34 हैक्टर दर्ज है। प्रतिवादी सं0 1 व स्व0शेषकरण पिता गंगादान चारण एवं स्व0 गोविन्दसिंह आत्मज स्व0शेषकरण चारण के ग्राम खराड़ी तहसील जैतारण जिला पाली में संयुक्त रूप से कृषि आराजीयात मकान, दरवाजा था जिसके बाबत ग्राम मण्डोल तहसील रायपुर की जायदाद कृषि आराजीयात व मकान के बारे में दिनांक 5.7.71 सम्वत् 2028 के आषाढ सुदी 12 को प्रतिवादी सं0 1 ने एक इकरार पत्र बाबत बटवाड़ा स्व0 गोविन्द सिंह के हक में इस आशय का निष्पादित किया कि ग्राम मण्डोल की जमीन व मकानात आपके हिस्से में (गोविन्दसिंह जी के) रहे हैं व ग्राम खराड़ी तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित समस्त चल व अचल सम्पत्ति मकान, दरवाजा सभी प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में रहे। इकरार की फोटो प्रति प्रस्तुत की। इसी बटवाड़ा इकरार में अंकित पिताजी का कर्जा था उसमें से आधा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा चुकाया जाना था तथा पंजाब नेशनल बैंक का कर्जा स्व0 गोविन्द सिंह द्वारा चुकाने का उल्लेख था। स्व0शेषकरण जी के खाते की जमीनें निलामी होने पर स्व0 गोविन्दसिंह जी ने जमीनों की निलामी कार्यवाही में तहसील के माध्यम से जमा कराये जिसकी रसीदों की फोटोप्रतियां वाद के साथ संलग्न है। पंजाब नेशनल बैंक शाखा भीलवाडा की कुलिया राशि तहसीलदार रायपुर के मार्फत जमा होने पर तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 20.05.80 को पटवारी हल्का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पीथाकाखेड़ा को आराजीयात मय चाह का कब्जा स्व0 श्री गोविन्दसिंह जी चारण को दिलाने का आदेश जारी किया जिस पर पटवारी हल्का से स्व0 गोविन्दसिंह जी चारण ने कब्जा प्राप्त किया एवं बैंक का रहन हटाया गया जिस पर गोविन्दसिंह जी का ही वादीगण का आधिपत्य चला आ रहा है। फोटो प्रति पेश है। वादीया सं0 1 के पति एवं वादी संख्या 2–3 के पिता स्व0 गोविन्दसिंह जी चारण जो कि पुलिस विभाग में मुख्य आरक्षी के पद पर तैहनात थे। आज से करीब 2 वर्ष पूर्व इन्ताकल हो गया एवं स्व0शेषकरण जी चारण का भी आज से करीब 6 माह पूर्व इन्तकाल हो गया है जिससे अब वाद में वर्णित आराजीयात का विरासत से इन्तकाल खुलना है किन्तु प्रतिवादी सं0 1 बिना अधिकार के गलत तौर पर एवं मिथ्या तथ्य प्रस्तुत करते हुए स्व0शेषकरण के खाते की जमीनों का इन्तकाल अपने नाम पर खुलवाना चाहता है जबकि दिनांक 25.7.71 के बाद स्व0शेषकरण जी के खाते की जमीनों पर स्व0 गोविन्द सिंह जी के जीवन काल में स्व गोविन्दसिंह जी के साथ वादीगण का एवं स्व0 गोविन्दसिंह जी के एवं स्व0शेषकरण जी के फौत होने पर तनाह वादीगण का ही आधिपत्य चला आ रहा है। प्रतिवादी सं0 1 का दिनांक 25.7.71 के बाद कोई हक हिस्सा व दखल वाद में वर्णित आराजीयात में नहीं रहा है। फिर भी अनाधिकार चेष्ठा करके तथा गलत बयान करते हुए प्रतिवादी सं0 1 ने तहसील कार्यालय रायपुर में स्व0शेषकरण जी के विरासत से आधी जमीन का इन्तकाल अपने नाम पर खुलवाने बाबत गलत रूप से आवेदन किया है एवं गलत रूप से स्व0शेषकरण जी के खाते की जमीनों में आधा हिस्सा अपना दर्ज करवाना चाहता है तथा दखल करना चाहता है जबकि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण के दिनांक 25.08.07 को समझाने पर भी नहीं समझने से वादीगण को विरूद्ध प्रतिवादी घोषणा हेतु वाद पेश करना पड़ा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गलत रूप से जमीनों में अपना नाम दर्ज करवाकर खुर्द बुर्द भी करना चाह रहा है इसलिए निषेधाज्ञा हेतु भी वादीगण दावेदार है।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण पारित अपीलाधीन निर्णय में वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत दिनांक 05.07.1971 के इकरारनामे के आधार पर घोषणा का दावा प्रस्तुत किया। वादग्रस्त आराजीयात स्व0 शेषकरण जी नि0 मण्डोल की थी । मुझ अपीलार्थी एवं स्व0 गोविन्दसिंह जी के मध्य उक्त आराजीयात बाबत कभी आपसी विभाजन नहीं हुआ है। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 05.07.1971 को इकरारनामा लिखा उस दिनांक को वह नाबालिग होकर उम्र 16 वर्ष 4 दिन की उम्र थी । इस प्रकार नाबालिग की ओर से किया गया इकरारनामा प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी था। वादोक्त भूमि स्व0 शेषकरण जी की थी। अधिनस्थ न्यायालय में स्व0 शेषकरण जी के सभी विधिक वारिसान को पक्षकार नहीं बनाए जाने से दावा चलने योग्य नहीं था । अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का कथन है कि वादोक्त आराजीयात स्व0 गोविन्दसिंह जी ने पंजाब नेशनल बैंक से निलामी में खरीदी जिस कारण से बेटियों का कोई हक हिस्सा नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया है। हम मण्डोल(रायपुर) जिला भीलवाड़ा की भूमि चाहते हैं ग्राम खराड़ी(जेतारण) जिला पाली की भूमि प्रतिवादी/अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भगवानसिंह के नाम थी। हम पुनः बटवाड़ा नहीं चाहते हैं। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा हमारे पक्ष में डिक्री जारी की है जो विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाई जावे।

5. वकील अपीलार्थी का यह भी निवेदन है कि दावा मियाद बाहर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई तनकी कायम नहीं की है। उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री पारित करने में भारी भूल की है। वादोक्त आराजीयात बैंक के रहन थी । बैंक का कर्जा चुकाने को आधार मानकर पैतृक सम्पत्ति पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। वादोक्त आराजीयात पुश्तैनी होने से कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। बैंक की निलामी सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। अतः अपील स्वीकार फरमा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का कथन है कि निलामी में राशि रु0 गोविन्दसिंहजी के द्वारा जमा कराई जिसकी रसीदें पेश की है जिसमें गोविन्दसिंहजी का ही नाम दर्ज है। निलामी राशि जमा कराने के पश्चात पटवारी हल्का पीथा का खेड़ा के द्वारा ग्राम मण्डोल तहसील रायपुर की भूमि का मौके पर कब्जा स्व0गोविन्दसिंहजी को संभलाया है। तब से उक्त भूमि गोविन्दसिंहजी के एवं इनकी मृत्यु पश्चात वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का कब्जा चला आ रहा है। अपीलार्थी का कभी कब्जा नहीं रहा है एवं न ही आज भी है। इस प्रकार अपीलार्थी वादोक्त भूमि पर कब्जा काश्त सिद्ध नहीं करा पाया है जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/रेस्पोडेन्टगण का वाद डिक्री किया है जो उचित होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं विधिक दृष्टान्तों पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत्2061

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

से 2064 ग्राम मण्डोल तहसील रायपुर में अंकित आराजी नम्बर 474 रकबा 0.30 है0, आ0नं0 475 रकबा 0.23है0, आ0नं0 476 रकबा 0.11है0, आ0नं0 477 रकबा 0.03है0, आ0नं0 479 रकबा 0.16है0, आ0नं0 484 रकबा 0.14है0, आ0नं0 499 रकबा 0.02है0, आ0नं0 500 रकबा 0.85है0, आ0नं0 501 रकबा 0.46है0, आ0नं0 502 रकबा 0.02है0 कुल कीता 10 कुल रकबा 2.34 हैक्टर शेषकरण पिता गंगादान चारण सा0देह खातेदार दर्ज है। शेषकरण की मृत्यु हो चुकी है। इनके विधिक वारिसान को वाद में रिकॉर्ड पर नही लिया है जबकि इनके दो पुत्र स्व0 गोविन्दसिंह एवं प्रतिवादी भगवानसिंह तथा दो पुत्रियां माडकंवर व मु0 कौशल्याकंवर है। इसी प्रकार स्व0 गोविन्दसिंह के वारिस में पत्नि कमला कंवर, पुत्र घनश्यामसिंह, भवानीसिंह व तीन पुत्रियां अंजूकंवर, मंजूकंवर व कैलाशकंवर है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 के द्वारा स्व0 शेषकरण की पुत्रियों व स्व0 गोविन्दसिंह की पुत्रियों कों पक्षकार नहीं बनाया है । फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण आराजीयात कीता 10 रकबा 2.34 हैक्टर का वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 को खातेदार घोषित करने का जारी आदेश पूर्णतया विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है।

7. वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 के द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत वाद में यह अंकित किया है कि प्रतिवादी/अपीलार्थी के द्वारा एक इकरार प्रदर्श–2ए दिनांक 05.07.1971 को स्व0गोविन्दसिंहजी के पक्ष में लिखा जिसमें ग्राम मण्डोल एवं खराड़ी की चल अचल सम्पत्तियों के बटवाड़े के सम्बन्ध में लिखा गया। जिसमें ग्राम मण्डोल की समस्त कृषि भूमियां व मकानात स्व0 गोविन्दसिंह जी के रहेगी व ग्राम खराड़ी त0 जेतारण जिला पाली की जमीन तथा मकान व दरवाजा मेरे हिस्से मे है। इसी के आधार पर वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ग्राम मण्डोल की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समस्त आराजीयात को अपने नाम दर्ज कराने का वाद प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया। जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त इकरार के सम्बन्ध में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई थी कि उक्त दिनांक 05.07.1971 को अपीलार्थी नाबालिग होकर 16 वर्ष 4 दिन का था इसकी पुष्टि में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति संलग्न होकर प्रदर्श–4 है, एवं अपीलार्थी के नाम आयकर विभाग से जारी पेनकार्ड की फोटो प्रति संलग्न है जो प्रदर्श 5ए है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की जन्मदिनांक 01.07.1955 है और दिनांक 05.07.1971 को लिखागया इकरार को अपीलार्थी की उम्र 16 वर्ष 4 दिन होना स्पष्ट होता है जिससे अपीलार्थी इकरार की दिनांक को नाबालिग था और नाबालिग के द्वारा किसी प्रकार से सम्पत्तियों के हस्तान्तरण या लेनदेन के सम्बन्ध में लिखे जाने वाले दस्तावेजों को विधिक मान्यता नहीं दी गई है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त माननीय उच्च न्यायालय केरला चन्द्रन बनाम केरला सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.04.2013 में किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि का मुख्य आधार विद्यालय से या शिक्षा विभाग से जारी होने वाले प्रमाणपत्र या विद्यालय के नामांकन पंजिका को माना है। वादग्रस्त आराजीयात अपीलार्थी एव रेस्पोडेन्ट्स की पैतृक है। किसी भी सम्पत्ति के हस्तान्तरण अथवा बटवाड़ानामा का दस्तावेज पंजियन अधिनियम 1908 के अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक है जबकि पत्रावली में संलग्न इकरार दिनांक 05.07.1971 अपंजीकृत होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त इकरार के आधार पर सम्पूर्ण आराजीयात का वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 को खातेदार घोषित किया है जो विधि विरूद्ध है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 के अधिवक्ता द्वारा अपने वाद में यह तथ्य अंकित किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर स्व0 शेषकरणजी के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक का ऋण बकाया था जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति व 2,3 के पिता द्वारा बैंक निलामी में राशि तहसीलदार के मार्फत जमा करा कब्जा प्राप्त किया जिससे उक्त वादोक्त आराजीयात में शेषकरण की पुत्रियों का कोई हक नहीं बनता है। प्रथमतः वादग्रस्त आराजीयात वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 एवं अपीलार्थी के स्व0 पिता शेषकरणजी के खातेदारी की है जो नकल जमाबन्दी ग्राम मण्डोल सम्वत् 2061 से 64 से स्पष्ट होता है। खातेदार की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पत्ति में मृतक के प्रथमश्रेणी के समस्त वारिसान का बराबर का हक निहीत हो जाता है। प्रश्नगत प्रकरण में भी वादोक्त भूमि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 एवं अपीलार्थी की पैतृक होना स्पष्ट होता है जबकि रेस्पोडेन्ट का कथन है कि उसके द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को निलामी में क्रय की जिसकी राशि स्व0 गोविन्दसिंहजी के द्वारा जमा कराये जाने से हम वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 का हक बनता है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत तहसील में जमा कराई निलामी राशि से यह नहीं माना जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा निलाम किया हो। क्योंकि वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में बैंक द्वारा निलामी सम्बन्धी कोई प्रमाण–पत्र स्व0 गोविन्दसिंहजी के पक्ष में जारी किया हो वह प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 के द्वारा उक्त निलामी के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्राप्त कर लेने से भी यह नहीं माना जा सकता है कि वे खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हो गए क्योंकि पैतृक सम्पत्ति में प्रत्येक विधिक वारिस का बराबर का हक निहीत होता है । स्व0शेषकरण जी के दो पुत्रियां माडकंवर व कौशल्या कंवर को भी पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि ये भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

बराबर की हकदार है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में स्व0 शेषकरण की पुत्रियां आवश्यक पक्षकार है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम मण्डोल तहसील रायपुर कुल कीता 10 कुल रकबा 2.34 हैक्टर स्व0शेषकरण पिता गंगादान चारण सा0देह खातेदार की थी । खातेदार की मृत्यु होने से अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 इनके विधिक वारिस है इनके अलावा मृतक खातेदार की पुत्रियों का भी हक हिस्सा निहीत होता है परन्तु इन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। इसी प्रकार किसी भी सम्पत्ति के हस्तान्तरण/ बटवाड़ा से सम्बन्धित दस्तावेज का पंजीकरण अधिनियम एवं सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के तहत पंजीयन होना आवश्यक है जबकि प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 05.07.1971 को जो इकरार बटवाड़े के सम्बन्ध में पत्रावली में पेश किया है वह पंजीबद्ध नहीं है तथा अपीलार्थी के द्वारा नाबालिग होते हुए लिखा जाने से भी उक्त इकरार को विधिक मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है। वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 3 के द्वारा वादग्रस्त भूमी की निलामी से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किए जिससे भूमि पर अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

10. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.04.2013 को निरस्त किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

11. निर्णय आज दिनांक 05.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस
अपील संख्या आर टी ए/106/2013

उनवान

1. श्री भगवानसिंह पिता शेषकरण चारण(खड़िया) निवासी खराड़ी तहसील जेतारण जिला पाली हाल निवासी वी.जे.एस.कॉलोनी म0नं0 615–ए भौमियों के स्थान के सामने , जोधपुर ।

अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती कमला कंवर पत्नी स्व0 गोविन्दसिंह चारण(खड़िया) निवासी मण्डौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2 श्री घनश्यामसिंह आत्मज स्व0 गोविन्दसिंह चारण(खड़िया) निवासी मण्डौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3.श्री भवानीसिंह आत्मज स्व0 गोविन्दसिंह चारण(खड़िया) निवासी मण्डौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के प्रकरण संख्या 162/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2013

अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/106/2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, रायपुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 05.9.2019 को अपीलाण्ट्स की ओर से श्री रमेश चेचाणी प्रत्थर्थी संख्या 1से 3 की ओर से श्री मनोहर लाल बापना अधिवक्ता की उपस्थिति में एवं प्रत्यर्थी सख्या 4 की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 05.9.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.04.2013 को निरस्त किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 05.9.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

11 TA / 106 / 2013 भगवान सिंह बनाम कमला कंवर

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

5/9/19

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा